



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 519]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 23, 2017/आषाढ़ 2, 1939

No. 519]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 23, 2017/ASHADHA 2, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2017

सं. 24 /2017-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 628(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 157 की द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परियोजना आयात विनियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में—

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम परियोजना आयात (संशोधन) विनियम, 2017 है।
(2) यह 23 जून, 2017 को प्रवृत्त होगा।
- परियोजना आयात विनियम, 1986 की सारणी में क्रम संख्या 3च और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

क्रम संख्या	संयंत्र या परियोजना का नाम	प्रायोजित करने वाला प्राधिकारी
“3चच	सभी मेट्रो रेल या मोनोरेल को निम्न परियोजनाओं के तहत लागू किया जा रहा है:- (1) कोलकाता मेट्रो रेल परियोजना (2) दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना दिल्ली एवं एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (3) बंगलौर मेट्रो रेल परियोजना	प्रबंध निदेशक या निदेशक आरएस एंड टी कोलकाता मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि० केएमआरसीएल, एचआरबीसी कोम्पलक्स, केएमआरसीएल भवन द्वितीय और तृतीय मंजिल, मंशी प्रेमचंद सैरानी, कोलकाता-700021. प्रबंध निदेशक या निदेशक इलेक्ट्रीकल या निदेशक वित्त दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन डिएमआरसी मेट्रो भवन, फायर ब्रिज लेन, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली-110001. प्रबंध निदेशक या निदेशक रोलिंग स्टॉक, सिग्नलिंग और इलेक्ट्रीकल बंगलौर मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि० बीएमआरसीएल, तीसरी मंजिल बीएमटीसी कोम्पलक्स, के एच रोड, शांतिनगर बंगलौर-560027.

	<p>(4) चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना</p> <p>(5) कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना</p> <p>(6) मुंबई मेट्रो रेल परियोजना</p> <p>(7) लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना</p> <p>(8) अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना</p> <p>(9) नागपुर मेट्रो रेल परियोजना</p> <p>(10) पुणे मेट्रो रेल परियोजना</p> <p>(11) नोएडा मेट्रो रेल परियोजना</p>	<p>प्रबंध निदेशक या निदेशक सिस्टम और आपरेशन्स चेन्नई मेट्रो रेल लि० एडमिन बिल्डिंग, सीएमआरएल डिपो, पूनामल्लई हाई रोड, कोयमम्बिडु, चेन्नई-600107, तमिलनाडु.</p> <p>प्रबंध निदेशक या निदेशक सिस्टम कोच्चि मेट्रो रेल कार्पोरेशन आठवीं मंजिल, रेवेन्य टावर, पार्क एवेन्य कोच्चि-682011, केरल.</p> <p>प्रबंध निदेशक या निदेशक सिस्टम मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि० एनएमटीटीआरआई बिल्डिंग, प्लराट न० आर-13, ई-ब्लॉक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा ईस्ट, मुंबई 400051.</p> <p>प्रबंध निदेशक या निदेशक रोलिंग स्टॉक और सिस्टम लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन एलएमआरसी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, नीयर डा० भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, विपिन खंड गोमती नगर, लखनऊ-226010.</p> <p>प्रबंध निदेशक मेट्रो लिंक एक्सप्रेस गांधी नगर और अहमदाबाद एमईजीए कंपनी लि०, ब्लॉक नं० 1, प्रथम मंजिल, कर्मयोगी भवन, निर्माण भवन के पीछे, सेक्टर 10/ए, गांधी नगर: 382010.</p> <p>प्रबंध निदेशक महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि० मेट्रो हाउस, बंगलो न० 28/2, आनंद नगर सी के नायडू रोड, सिविल लाइन्स नागपुर-440001.</p> <p>प्रबंध निदेशक महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि० मेट्रो हाउस, बंगलो न० 28/2, आनंद नगर सी के नायडू रोड, सिविल लाइन्स नागपुर-440001.</p> <p>प्रबंध निदेशक नोएडा मेट्रो रेल कार्पोरेशन एनएमआरसी, ब्लॉक-III, तीसरी मंजिल, गंगा शार्पिंग कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 29, नोएडा 201301.</p>
--	---	---

[फा. सं.-354/35/2015-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं० 230/1986-सीमा शुल्क, तारीख 3 अप्रैल, 1986, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 580(अ), तारीख 3 अप्रैल, 1986 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 25/2014-सीमा शुल्क, तारीख 11 जुलाई, 2014 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 472(अ), तारीख 11 जुलाई, 2014 में प्रकाशित की गई थी द्वारा उसका अंतिम बार संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd June, 2017

No. 24 /2017-Customs

G.S.R. 628(E).—In exercise of the powers conferred by section 157 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following regulations further to amend the Project Imports Regulations, 1986, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Project Imports (Amendment) Regulations, 2017.
- (2) They shall come into force on the 23rd day of June, 2017.
2. In the Project Imports Regulations, 1986, in the Table, after serial number 3F and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

Sr. No.	Name of the Plant or Project	Sponsoring Authority
“3FF	All Metro Rail or Monorail projects under, -	
	(i) Kolkata Metro Rail Project	Managing Director or Director (Rolling Stock and Technical) of Kolkata Metro Rail Corporation Ltd (KMRCL), HRBC Complex, KMRCL Bhawan, 2 nd & 3 rd Floor, Munsii Premchand Sarani, Kolkata-700021.
	(ii) Delhi Metro Rail Project- Delhi & NCR (National Capital Region)	Managing Director or Director (Electrical) or Director (Finance) Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) Metro Bhawan, Fire Brigade Lane, Barakhamba Road, New Delhi-110001.
	(iii) Bangalore Metro Rail Project	Managing Director or Director (Rolling Stock, Signalling and Electrical) of Bangalore Metro Rail Corporation Limited (BMRCL), 3 rd Floor, BMTC Complex, K.H. Road, Shantinagar, Bangalore- 560 027.
	(iv) Chennai Metro Rail Project	Managing Director or Director (Systems and Operations) of Chennai Metro Rail Limited Admin Buiding, CMRL Depot, Poonamallee High Road, Koyambedu, Chennai- 600107, Tamil Nadu.
	(v) Kochi Metro Rail Project	Managing Director or Director (Systems) Kochi Metro Rail Ltd. 8 th Floor, Revenue Tower, Park Avenue, Kochi- 682011, Kerala.
	(vi) Mumbai Metro Rail Project	Managing Director or Director (Systems) Mumbai Metro Rail Corporation Limited, NAMTTRI Building, Plot No. R-13, ‘E’-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumabai 400051.
	(vii) Lucknow Metro Rail Project	Managing Director or Director (Rolling Sock and Systems) Lucknow Metro Rail Corporation (LMRC), Administrative Building, Near Dr. Bhimrao Ambedkar Samajik Parivartan Sthal, Vipin Khand Gomti Nagar, Lucknow- 226010.
	(viii) Ahmedabad Metro Rail Project	Managing Director of Metro- Link express for Gandhi Nagar and Ahmedabad (MEGA) Company Ltd., Block No.1, First Floor, Karmayogi Bhavan, Behind Nirman Bhawan, Sector 10/A, Gandhi Nagar: 382010.
	(ix) Nagpur Metro Rail Project	Managing Director of Maharashtra Metro Rail Corporation Ltd., Metro House, Bungalow No. 28/2, Anand Nagar, C K Naidu Road, Civil Lines, Nagpur- 440001.
	(x) Pune Metro Rail Project	Managing Director of Maharashtra Metro Rail Corporation Ltd., Metro House, Bungalow No. 28/2, Anand Nagar, C K Naidu Road, Civil Lines, Nagpur- 440001.

	(xi) Noida Metro Rail Project	Managing Director of Noida Metro Rail Corporation (NMRC), Block-III, 3 rd Floor, Ganga Shopping Complex, Sector-29, Noida 201301.
--	-------------------------------	--

[F. No. 354/35/2015-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Note : The principal notification No. 230/1986-Customs, dated the 3rd April, 1986 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 580(E), dated the 3rd April, 1986 and was last amended by notification No. 25/2014-Customs, dated the 11th July, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 472(E), dated the 11th July, 2014.